मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 30.11.2018

क्रमांक–1712–मप्रविनिआ–2018– विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181(2)(जेडडी) सहपठित धारा 45 तथा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2015 {आरजी–35(II) वर्ष 2015}'' में निम्न संशोधन करता है :

जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2015 {आरजी–35(II) वर्ष 2015} को दिनांक 18 दिसंबर, 2015 को अधिसूचित किया गया था तथा जबकि बहुवर्षीय टैरिफ की तृतीय नियंत्रण अवधि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो जाएगी, अतएव वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वितरण विद्युत–दर (टैरिफ) की निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करने हेतु इन विनियमों में संशोधन किया जा रहा है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015'' है।

1.2 इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

1.3 ये विनियम दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से लागू होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा पूर्व अवधि में इसकी समीक्षा न कर ली जाए या इनकी समयावधि का विस्तार न कर लिया जाए, ये विनियम एक वर्ष की अवधि हेतु, अर्थात् 31 मार्च, 2020 तक प्रभावशील रहेंगे। निम्न संशोधनों को छोड़कर, प्रधान विनियमों के अन्य समस्त उपबंध तथा निबंधन एवं शर्तें, यथावत रहेंगी।

विनियमों 1.3, 8.1, 8.4, 16, 17.1, 25.1, 31.3, 34.6 (ख) (एक) तथा (दो) में संशोधन :

प्रधान विनियमों में, विनियमों 1.3, 8.1, 16, 25.1 के अंतर्गत शब्दों '' 31 मार्च, 2019'' को ''31 मार्च, 2020'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

प्रधान विनियमों में, विनियम 8.4 के अंतर्गत शब्दों ''31 अक्टूबर प्रतिवर्ष'' को ''वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 31 दिसम्बर'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रधान विनियमों में, विनियम 17.1 के अंतर्गत शब्दों ''तीन वर्षों'' को ''चार वर्षों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रधान विनियमों में, विनियम 25.1 के अंतर्गत इन विनियमों की नियंत्रण अवधि हेतु मानदण्डीय वितरण हानि प्रक्षेप–वक्र को निम्न तालिका द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

सरल क्रमांक	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	18%	17%	16%	16%
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	16%	15.5%	15%	15%
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	19%	18%	17%	17%
4	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, पीथमपुर	2.0%	1.9%	1.8%	1.8%

प्रधान विनियमों में, विनियम 31.3 के अंतर्गत वर्ष ''2018–19'' को वर्ष ''2019–20'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रधान विनियमों में, विनियम 34.6 (ख) (एक) तथा (दो) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(एक) कर्मचारी व्यय, (कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते, राष्ट्रीय पेंशन योजना व्ययों, पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाओं तथा प्रोत्साहन को छोड़कर)

वित्तीय वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर
2016–17	385	403	359	0.98
2017–18	396	415	370	1.01
2018–19	408	428	381	1.04
2019–20	1080	1133	1009	2.75

(दो) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

वित्तीय वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर
2016–17	168	129	96	1.91
2017–18	179	138	103	2.04
2018–19	192	147	110	2.18
2019–20	205	157	118	2.33

प्रधान विनियमों में संलग्न प्ररूप वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु भी लागू होंगे ।

आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव